



भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



शास्ति और अभियोजन के प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2013 की संख्या 28

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

**शास्ति और अभियोजन के
प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2013 की संख्या 28**

.....को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर रखी गई

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|----------|
| प्रारूप | i |
| क. कार्यकारी सार | iii-vi |
| ख. सिफारिशों का सार | vii-viii |
| ग. अध्याय 1: प्रस्तावना | 1-7 |
| ग.1 प्रस्तावना | 1 |
| ग.2 संगठनात्मक ढाँचा | 1-3 |
| ग.3 हमने यह विषय क्यों चुना | 3-5 |
| ग.4 समीक्षा के उद्देश्य | 5-6 |
| ग.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली | 6 |
| घ. अध्याय 2: शास्ति का प्रशासन एवं उद्ग्रहण | 9-27 |
| घ.1 शास्ति का प्रशासन | 9-20 |
| घ.2 शास्ति का उद्ग्रहण | 21-27 |
| ङ. अध्याय 3: अभियोजन का प्रशासन | 29-97 |
| ङ.1 मानीटरिंग और समन्वय ढाँचा | 29-39 |
| ङ.2 अभियोजन मामलों की शुरुआत | 39-43 |
| ङ.3 अभियोजन मामलों का अनुसरण | 44-55 |
| ङ.4 न्यायालयों के साथ इंटरफेस | 55-67 |
| ङ.5 निपटाए गए मामलों का विश्लेषण | 67-70 |
| ङ.6 अभियोजन वकील | 70-78 |
| ङ.7 मामलों की वर्तमान स्थिति | 78-80 |
| ङ.8 अपराधों का समझौता | 80-86 |
| ङ.9 राष्ट्रीय अभियोग नीति | 86-88 |
| ङ.10 अभियोजन हेतु मामलों का चयन | 88-93 |
| ङ.11 प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय | 93-94 |
| च. अनुबंध | 99-104 |
| छ. संक्षेताक्षर | 105 |